

न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर
(निर्णय श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ आर.ए.एस. अति० संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील एल०आर०ए० संख्या 00282/2020 जिला टोंक

महावीर पुत्र प्रहलाद जाति मीना निवासी चारनेट तहसील दूनी जिला टोंक राज.

....अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार, नगर फोर्ट

....रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज. ले, रे, एक्ट 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक दिनांक 10.12.2019 तथा नायब तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2019

उपस्थित अभिभाषक:—गिरीश शर्मा

राजकीय अभिभाषक:—आकाश पारीक

निर्णय

दिनांक:—29.12.2021

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है ग्राम चारनेट के आराजी ख०न० 37 रकबा 0.20 हेक्टेयर किस्म चारागाह ग्राम कोटड़ा पर अपीलांत महावीर पुत्र प्रहलाद मीना निवासी चारनेट को दिनांक 22.02.2019 को नायब तहसीलदार नगरफोर्ट के द्वारा पश्चातवृत्ति अतिक्रमण मानकर बेदखल करने पेनल्टी कायम करने तथा तीन महीने का सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया।

इस आदेश के विरुद्ध अपीलांत द्वारा ए डी एम टोंक न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसका नं० 09/2019 है जिसमें उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 10.12.2019 से अपील को खारिज कर दिया है। जिससे व्यथित होकर वर्तमान द्वितीय अपील धारा 76 एल आर एक्ट के तहत न्यायालय हाजा. में प्रस्तुत कर दी गई है।

अपील मीमो का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में होने से अपील को दर्ज किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

उक्त अपील के साथ अपीलांत द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें पूर्ववर्ती न्यायालय निर्णय 22.02.2019, 10.12.2019 का हवाला देते हुए निवेदन किया है कि उसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में उक्त भूमि से कब्जा छोड़ दिया है इस बाबत शपथ पत्र दे दिया है मगर रेस्पोंडेन्ट उसको सिविल कारावास भिजवाने हेतु आमादा है। अतः अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की क्रियान्विति को अपील के निर्णय तक स्थगित रखा जाए। प्रार्थी द्वारा इसके समर्थन में अपना शपथ पत्र दिया है

अपीलांत द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र नियम 17, 32 रेवन्यु कौर्टस मैनुअल पार्ट-2 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वकील अपीलांत द्वारा निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा प्रार्थी को नायब तहसीलदार नगरफोर्ट के निर्णय 22.02.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु निर्देशित कर दिया है। जो अभी तक प्रार्थी को प्राप्त नहीं हो सकने से प्रमाणित प्रतिलिपि को प्रस्तुत करने बाबत छूट प्रदान की जाये। साथ इसी समर्थन में एक शपथ पत्र भी उनके द्वारा दिया गया है।

अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार है—अपीलांत के अनुसार नायब तहसीलदार नगरफोर्ट में निर्णय पारित करने पूर्व उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। प्रार्थी को कोई तामिल नहीं हुई, प्रार्थी को कोई सबूत साक्ष्य नहीं दिये गये।

तामिल के बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायालय से मंगवायी गई पत्रावली को देखा गया। नायब तहसीलदार नगरफोर्ट के निर्णय प्रकरण संख्या 262/2019 दिनांक 22.02.2019 का अवलोकन किया गया कि उक्त पत्रावली पर महावीर को तामिल बाबत कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। बिना तामिल करवाये महावीर के विरुद्ध निर्णय पारित करना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द अहकाम को देखा गया उक्त फर्द अहकाम भी हाथ से नहीं लिखकर फोर्मेट के रूप में है जिसके खाली स्थानों को हाथ से लिखकर भर दिया गया है जो उचित नहीं है।

फर्द बेदखली दिनांक 18.02.2019 का अवलोकन किया गया इसके अनुसार उक्त दिनांक को अतिक्रमी महावीर पुत्र प्रहलाद मीणा निवासी चारनेट को मौके से बेदखल कराकर भूमि को स्वतंत्र करा लिया गया। फर्द बेदखली पर्चा पर गवाह के तौर पर मोहरपाल,लादू,अतिक्रमी महावीर तथा हल्का पटवारी,गिरदावर के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 27.08.2019 पटवार हल्का चारनेट की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में उक्त भूमि पर अतिक्रमी महावीर पुत्र प्रहलाद मीणा जाति मीणा निवासी चारनेट का कब्जा था परंतु वर्तमान में उक्त खसरा न0 37 पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। भूमि अतिक्रमण मुक्त है। रेस्पों0 महावीर का दिनांक 02.12.2019 का शपथ पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें उसके द्वारा यह कहा गया है कि भविष्य में कभी कोई अतिक्रमण उक्त भूमि पर नहीं करेगा।

सर्वप्रथम अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 17,32 रेवन्यु कोर्टस मैनुअल पार्ट-2 का अवलोकन किया गया। अपीलांत के अनुसार नायब तहसीलदार नगरफोर्ट के निर्णय दिनांक 22.02.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। जो प्राप्त होते ही न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जायेगी। तब तक प्रार्थी छायाप्रती की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये और प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रस्तुतीकरण की छूट प्रदान की जाकर अपील दर्ज कर सुनवाई किये जाने का आदेश दिया जाये। प्रस्तुत छायाप्रती की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का कथन उचित है। प्रमाणित प्रतिलिपि लेने में देर हो सकती है। अतः प्रार्थना पत्र नियम 17,32 रेवन्यु कोर्टस मैनुअल पार्ट-2 को उचित मानते हुए स्वीकार किया जाता है।

न्यायालय एडीएम टोंक द्वारा प्रथम अपील दिनांक 10.12.2019 को निर्णित की गयी थी। द्वितीय अपील अपीलांत द्वारा न्यायालय हाजा में 23.01.2020 को प्रस्तुत की गई तथा धारा 5 लिमिटेशन बाबत् कोई प्रार्थना पत्र नहीं लगाया गया है। चूंकि द्वितीय अपील हेतु 90 दिवस की समय सीमा निर्धारित की गयी है। अतः धारा 5 मियाद अवधि प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं है। चूंकि अपीलांत द्वारा 42 दिवस में ही द्वितीय अपील कर दी गयी है।

वकील अपीलांत द्वारा बहस के दौरान आरआरटी 2006-07(एसयूपीपी) पेज संख्या 2289 रामकुमार बनाम् स्टेट ऑफ राजस्थान रेवन्यु बोर्ड अजमेर , आरआरटी 2006-07(एसयूपीपी) पेज संख्या 33 मोहननाथ बनाम् स्टेट ऑफ राजस्थान रेवन्यु बोर्ड अजमेर के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये तथा निवेदन किया कि अपीलांत द्वारा मौके से अतिक्रमण हटा दिया गया है। जिसकी पुष्टि पटवारी मौका रिपोर्ट से होती है। साथ ही चूंकि प्रार्थी द्वारा भविष्य में उक्त भूमि पर अतिक्रमण ना करने बाबत् शपथ पत्र भी दिया है। अतः सिविल कारावास की सजा दिये जाने बाबत् नायब तहसीलदार नगरफोर्ट एवं ए0डी0एम टोंक के निर्णय क्रमशः 22.02.2019 तथा 10.12.2019 के निर्णय को निरस्त किया जाये।

सरकारी पैरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को उचित मानते हुए अपील को खारिज करने हेतु कथन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को देखा गया कि वकील अपीलांत द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2006-07(एसयूपीपी) पेज संख्या 2289 रामकुमार बनाम् स्टेट ऑफ राजस्थान रेवन्यु बोर्ड अजमेर –राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956-धारा 91- सरकारी भूमि पर अतिचार –सिविल कारावास –पश्चातवर्ती अतिचार-प्रार्थी ने तर्क दिया है कि उसने कब्जा छोड़ दिया है और भविष्य में अतिचार न करने का आश्वासन दिया- निर्णित, तहसीलदार के समक्ष अण्डरटेकिंग कारावास का आदेश अपास्त किया।

वर्तमान प्रकरण में भी यही स्थिति बनती है अपीलांत द्वारा भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया। तथा इसकी पुष्टि में पटवार हल्का चारनेट की रिपोर्ट उपलब्ध है तथा स्वयं अपीलांत द्वारा भविष्य में उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र भी दिया गया है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर सही रूप से चस्पा होता है।

अन्य न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2007(एसयूपीपी) पेज संख्या 33 मोहननाथ बनाम् स्टेट ऑफ राजस्थान रेवन्यु बोर्ड अजमेर – राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956-धारा 91- सरकारी भूमि पर अतिचार – एक माह सिविल कारावास का दण्डादेश प्रार्थी ने शपथ पत्र पेश किया कि उसने अतिक्रमण हटा दिया तथा उसके विरुद्धे शास्ति बकाया नहीं है-निर्णित, सशर्त आदेश पारित किया। वर्तमान प्रकरण में भी प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। तथा इसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

अतएव न्यायालय उचित समझता है कि चूंकि अपीलांत द्वारा अतिक्रमण हटा दिया गया है पटवार मौका हल्का रिपोर्ट से भी जिसकी पुष्टि होती है तथा भविष्य में उक्त खसरा न0 37 रकबा 0.20 पर कोई अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र भी दिया है अतएव यह आदेश दिया जाता है कि अपीलांत का यदि कोई शास्ति राशि बकाया ना हो तथा अपीलांत स्वयं नायब तहसीलदार नगरफोर्ट के समक्ष 15 दिवस की अवधि के अंदर उपस्थित होकर भविष्य में कभी अतिक्रमण न करने बाबत् शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग देने पर उक्त सिविल कारावास की सजा सशर्त अपास्त की जाती है। आदेश नायब तहसीलदार न्यायालय नगरफोर्ट दिनांक 22.02.2019 तथा आदेश ए0डी0एम टोंक न्यायालय दिनांक 10.12.2019 सशर्त उपरोक्तानुसार अपास्त किया जाना उचित होगा।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपरोक्त विवेचन एव विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील संख्या 00282/2020 बउनवानी महावीर बनाम सरकार नायब तहसीलदार, नगर फोर्ट को स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार, नगर फोर्ट का आदेश दिनांक 22.02.2019 तथा आदेश ए0डी0एम टोंक न्यायालय का आदेश दिनांक 10.12.2019 को निम्नांकित शर्तों की पालना किये जाने की स्थिति में खारिज किया जाता है—अपीलांत स्वयं नायब तहसीलदार नगरफोर्ट के समक्ष 15 दिवस की अवधि के अंदर उपस्थित होकर भविष्य में कभी अतिक्रमण न करने बाबत् शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग देने पर उक्त सिविल कारावास की सजा सशर्त अपास्त की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 29.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर